मौलाना मज़हरूल हक़ अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना
مولانا مظہر الحق عربی و فارسی یونیورسیٹی، پٹنہ
Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University, Patna

Ref. F-1507/24,RE-944/2024 Date. 17.12.2024

सेवा में,

सचिव
R N College of IT & Management
Sonaho Road, Parsa (Saran)

विषयः– स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके संस्थान से प्राप्त आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अभिषद में लिए गए निर्णय एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से संस्थान को प्राप्त Letter of Approval (LoA) के आलोक में सत्र 2024–25 से AICTE की संबंधित विषय में मान्यता जारी रहने तक औपबंधिक रूप से निम्न रूप से नामांकन लेने की अनुमति दी जाती है–

1. BBA – 120 सीट (AICTE से मान्यता जारी रहने तक)
2. BCA – 100 सीट (AICTE से मान्यता जारी रहने तक)
3. BLIS – 60 सीट (अगले आदेश तक)

आपके संस्थान को नामांकन की यह औपबंधिक अनुमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है–

I. औपबंधिक मान्यता AICTE की संबंधित विषय में मान्यता जारी रहने तक होगी।

II. मान्यता निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के उपरांत उसके प्रतिवेदन से फलीभूत होगी।

III. यह मान्यता आवेदन में वर्णित अवापसी योग्य शुल्क के रूप में BLIS के लिए रू० दो लाख BBA के लिए रू० एक लाख BCA के लिए रू० एक लाख अर्थात कुल चार लाख जमा करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावी होगी जो इस पत्र की निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी।

IV. किसी भी प्रकार की संस्थान में रिक्ति पर नियुक्ति विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही होगी एवं इसका विश्वविद्यालय से अनुमोदन लेना होगाा।

V. सभी पाठयक्रम में पाठयक्रम शुल्क का 20% राशि विश्वविद्यालय में पंजीकरण शुल्क के साथ जमा करना होगाा।

VI. संस्थान द्वारा आवेदन में समर्पित किसी भी प्रकार की गलती/जाली पाए जाने पर यह अनुमति तत्काल प्रभाव से वापस ले ली जाएगी।

VII. सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का आधार, PAN, मोबाइल न०, आवासीय साक्ष्य, शैक्षणिक योग्यता संबंधित साक्ष्य की अभिप्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगें।

VIII. विश्वविद्यालय बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी औचक रूप से संस्थान का निरीक्षण कर सकती है।

IX. BLIS हेतु Colon Classification की 20 एवं DDC 19th Edition की 10 अदद मूल प्रति पुस्तकालय में अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ ही अन्य अनुशंसित पुस्तक भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए।

X. इस बीच मगध विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अवश्य जमा कर देंगे।

XI. उपरोक्त में किसी भी नियम या शर्त का उल्लंघन करने पर तत्काल मान्यता वापस ले ली जाएगी।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से।

विश्वासभाजन

17/12/24

(कर्नल कामेश कुमार)
कुलसचिव